आवश्यक

संख्या: 52/2020/1988/12-2-2020-एफ-58/2008

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

विषय: एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों का रीयलटाइम एक्नॉलेजमेन्ट कराते हुए कृषकों को शत प्रतिशत वितरण पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या:3825/ए0सी0एस0ए0जी0-कैम्प/2020 दिनांक 24 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या:37/2020/1925/12-2-2020-एफ0-58/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गुणवत्तायुक्त उर्वरक का एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रीयलटाइम एक्नॉलेजमेन्ट करते हुए पी0ओ0एस0 के माध्यम से शत-प्रतिशत वितरण कृषकों को कराने हेतु निर्देश दिए गए है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0ओ0एस0 मशीन की जनपद स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता, उनकी मरम्मत तथा पोर्टल पर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से उर्वरक विक्रय कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये:-

(1) एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु समयबद्ध एक्नालेजमेन्ट की व्यवस्था की गयी है। उर्वरक विनिर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नालेजमेन्ट व्यवस्था रीयलटाइम में की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरकों का मूवमेन्ट होता है, वैसे ही ऑन लाइन प्रणाली को भी अद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमें विलम्ब करने वाले फुटकर एवं थोक अर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
(2) समस्त उर्वरकों की बिक्री निजी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र एवं अन्य बिक्री केन्द्रो के द्वारा शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करयी जाये। पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री नहीं करने तथा अर्वरक क्रेता कृषकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची नहीं देने वाले उर्वरक क्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।

(3) प्रदेश के जनपदों में 4087 पी0ओ0एस0 मशीन विगत दो वर्षों से उर्वरक विक्रेताओं द्वारा प्रयोग में नहीं लायी गयी है। अत: ऐसे अक्रियाशील उर्वरक विक्रेता जिनके द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन लेकी एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आई0डी0 जारी करायी गयी है, परन्तु लम्बे समय से उनके द्वारा कोई व्यापार नहीं किया गया है, की समीक्षा किए जाने के उपरान्त उनकी आई0डी0 पोर्टल से डिलीट कराते हुए पी0ओ0एस0 मशीन जमा कराकर आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया जाये।

(4) जनपद मे उपलब्ध एनॉलाजिक, ओएसिस एवं विजनेट कम्पनी की पी0ओ0एस0 मशीनों के रख-रखाव, मरम्मत एवं रिप्लेसमेन्ट की कार्यवाही त्वरित गति से पूर्ण करायी जाए तथा यथाआावश्यक खराब एनॉलाजिक/ओएसिस मशीनों का रिप्लेसमेन्ट विजनटेक कम्पनी से कराने के लिए संबंधित उर्वरक विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता संस्था से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही की जाये।

(5) भारत सरकार के द्वारा पी0ओ0एस0 साफ्टवेयर का डेस्क-टॉप वर्जन मई, 2019 से प्रारम्भ किया जा चुका है। थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेता इसे अपने लैप-टॉप या कम्प्यूटर के माध्यम से बायोमैट्रिक फिंगर स्कैनर लगाकर उर्वरकों की बिक्री कृषकों को कर सकते हैं। इस प्रकार से बिक्री करने पर भी कृषकों को कैश-मैमो अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। बायोमैट्रिक डिवाइस जनपद में संबंधित उर्वरक विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) पी0ओ0एस0 मशीने एवं बायोमैट्रिक स्कैनर्स की उपलब्धता कराने के साथ उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार बिक्रीत मात्रा के सापेक्ष रू0 50/- प्रति मी0टन की दर से इन्सेन्टिव/रिटेलर मार्जिन मनी का भुगतान उर्वरक कम्पनी को करती है। अत: उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थायें पी0ओ0एस0 मशीन का उपलब्धता, रख-रखाव/मरम्मत के लिए उत्तरदायी हैं। अगर वह पी0ओ0एस0 मशीन की उपलब्धता व रख-रखाव सुनिश्चित नहीं करते तो अवगत कराया जाये जिससे भारत सरकार को जानकारी देकर उपरोक्त इन्सेन्टिव मनी से कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

(7) पी0ओ0एस0 मशीन खराब होने पर मोबाइल और बायोमैट्रिक स्कैनर का उपयोग भी किया जा सकता है जिससे बिक्री निर्बाध रूप से चले। अत: सभी रिटेलर पर यह वैकल्पिक व्यवस्था होना प्राविधानित किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 52/2020/1988/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्टेट को-आर्डिनेटर (डी0बी0टी0), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त राज्य विपणन प्रबंधक/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।